राज्य् सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्यात1406

09 मार्च, 2016 को उत्तयरके लिए

विदेशों से आयातित इस्पात की मात्रा और मूल्य

1406. **श्री अजय संचेती:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से आयात किए गए इस्पात के प्रति यूनिट मूल्य सहित तत्संबंधी मात्रा का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस्पात किस मूल्य पर उपलब्ध है;

(ग) इस्पात का आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उद्योग को बचाने के लिए आयातित इस्पात पर प्रभार वसूलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तङर

इस्पात और खान मंत्री **(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): ब्यौमरे क्रमश: अनुलग्न क -। और ।। में दिये गये हैं।

(ग): भारत में वर्ष 2014-15 में कुल इस्प्ात (अलॉय +नॉन अलॉय) के आयातों में लगभग 75.5 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) और अप्रैल 15-जनवरी,16 के दौरान लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पा त एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और इसका आयात विभिन्नर बाजार घटकों यथा कीमत , गुणवत्ता, उपलब्धलता इत्यादि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्तक्अच्छीु गुणवत्तान वाले इस्पाध्जिसका स्थारनीय रूप से उत्पाकदन नहीं होता,है का भी कुछ ही मात्रा में आयात किया जाता है। आयातों में यह उछाल मुख्य रूप से विश्व स्तरर पर इस्पात की अत्यतधिक आपूर्ति होने के फलस्वररूप हुआ है। इस कारण से चीन और अन्यी देशों द्वारा इस्पापत का निर्यात प्राय: उत्पावदन लागत से कम मूल्यर पर किया जा रहा है।

(घ) और (ड.): सरकार ने घरेलू इस्प्ात क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्नह उपाय किये हैं जिससे आयातों की वृद्धि दर में गिरावट आई है। जहां वित्तीषय वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्तीधय वर्ष 2014-15 में आयातों में लगभग 75 प्रतिशत की

वृद्धि हुई है, वहीं अप्रैल, 15 - जनवरी, 16 की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि गत वित्ती य वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम होकर लगभग 24 प्रतिशत हो गई है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम निम्नकवत् हैं

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्तार युक्ती इस्पा त का उत्पाादन या आयात हो, सरकार ने इस्पाकत और इस्पावत उत्पाक(द गुणवत्ताक नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पारत और इस्पापत उत्पा्द (गुणवत्ता(नियंत्रण) आदेश , 2015 , दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) घरेलू इस्पा्त उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्कस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-
(क) कोयला ब्लाइक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्स (स्पेलशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट,2015 अधिसूचित किया गया है।
(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम , 2015 अधिसूचित किया गया है।

(iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पाित पर बेसिक सीमा शुल्की की उच्चधतम दर10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टीमल (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्यप अलॉय फ्लैट उत्पारदों पर यह शुल्कश 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्तद्र 2015 में पुन: संशोधित करके आयात शुल्क1 फ्लैट स्टीॉल पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टीेल पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टीयल पर7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(v) रिबार्स का आयात केवल 'इस्पा.त उत्पाेद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2012' के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नवम्बकर2014 में निर्देश जारी किए गए थे, ताकि बोरोन युक्तय रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके

(vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेमनलैस स्टीएल के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vii) सरकार ने सितम्बरद्र 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वा यलों में नान अलॉय और अन्यि अलॉय स्टी ल के हॉट रोल्डद फ्लैट उत्पा्दों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगायाहै।

(viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पालत उत्पा दों पर न्यूेनतम आयात मूल्यां (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्यम से कम पस्करने की अनुमति नही होगी।

***